

**साहेबगंज समाहरणालय**  
जिला भू-अर्जन शाखा, साहेबगंज  
समाहर्ता या समुचित सरकार  
अधिघोषणा

[अधिनियम-30/2013 की धारा-19(1) के अधीन]

एल0ए0 वाद संख्या-03/2020-21/ 268 /भू0अ0, साहेबगंज, दिनांक- 06.4.2021

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता, साहेबगंज को यह प्रतीत होता है कि, सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना साहेबगंज शहरी जलापूर्ति योजना परियोजना हेतु ग्राम-गोपालचौकी, थाना-सकरोगढ़, थाना सं0-43, अंचल-बोरियो में कुल-0.2495 एकड़ भूमि अपेक्षित है। इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खण्ड है, जो मानक माप से कमोवेश 0.2495 एकड़ है और जो कि ग्राम-गोपालचौकी, थाना-सकरोगढ़, थाना सं0-43, अंचल-बोरियो, जिला-साहेबगंज में है जिसका विवरणी निम्नलिखित है :-

क्रम सं0	खाता संख्या	सर्वे भूखण्ड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखण्ड संख्या)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	92	33	रैयती	बाड़ी-1	0.2495	सातन मंडल पे0-मसुदन मंडल वो भैरो मंडल, पिता-धनपत मंडल वो भगलु मंडल पे0-नन्दलाल मंडल वो घिसु मंडल वो प्राण मंडल पे0-दौलत मंडल, सा0-चानन	सड़क	दाग सं0-32	दाग सं0-29	दाग सं0-34

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं0-30/2013 की धारा-15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात् किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :-

ग्राम-.....X....., थाना-..... X ....., थाना सं0-..... X ....., अंचल-..... X ....., जिला-.....X....., क्षेत्रफल-.....X..... एकड़ यानि .....X..... हे0 जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार नीचे दिये गये हैं :-

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम अन्तर्गत रैयतों को उचित प्रतिकर यथा परिवहन भत्ता, पुनर्व्यवस्थापन भत्ता, जीवनयापन भत्ता यथा योग्य रूप से किया जायेगा।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,

साहेबगंज

01.4.21

01.04.21

अपर समाहर्ता,  
साहेबगंज।

उपायुक्त,  
साहेबगंज।

01.4.21